

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री

(ओ 20 रूल 6-7जाब्ता दीवानी)



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस)

राजस्व वाद : खाता विभाजन

जसकरण सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति कुम्हार सिख सा. मोरजण्ड सिखान तह
संगरिया जिला हनुमानगढ

जोगेन्द्र सिंह पुत्र निका सिंह जाति कुम्हार सिख सा. मोरजण्ड सिखान तह
संगरिया जिला हनुमानगढ

बलकरण सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति कुम्हार सिख सा. मोरजण्ड सिखान तह
संगरिया जिला हनुमानगढ

बलविन्द सिंह पुत्र निका सिंह जाति कुम्हार सिख सा. मोरजण्ड सिखान तह
संगरिया जिला हनुमानगढ

जसनदीप सिंह पुत्र बलराज सिंह जरिये ना कु बली माला करमजीत कौर पत्नी
बलराज सिंह जाति कुम्हार सिख सा. मोरजण्ड सिखान तह. संगरिया जिला
हनुमानगढ

—वादीगण

बनाम

अल्लाबक्श पुत्र अलीशेर जाति मुसलमान सा. किकरवाली तह. संगरिया जिला
हनुमानगढ

असरफ अली पुत्र अलीशेर जाति मुसलमान सा. किकरवाली तह. संगरिया जिला
हनुमानगढ

फतेहबीबी पत्नी शेर मोहम्मद जाति मुसलमान सा. किकरवाली तह. संगरिया
जिला हनुमानगढ

मोहम्मदसलाम पुत्र अल्लाबक्श जाति मुसलमान सा. किकरवाली तह. संगरिया
जिला हनुमानगढ

मोहम्मद हुसैन पुत्र अल्लाबक्श जाति मुसलमान सा. किकरवाली तह. संगरिया
जिला हनुमानगढ

याकूब पुत्र सफी मोहम्मद जाति मुसलमान सा. नवां तह. व जिला हनुमानगढ
लियाकत अली पुत्र मुस्ताक खान जाति मुसलमान सा. किकरवाली तह. संगरिया
जिला हनुमानगढ

तहसीलदार राजस्व संगरिया तह संगरिया

—प्रतिवादीगण

मु.स 10/2023 ,

दावा अर्न्तगत धारा 53 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू वादीगण की ओर से श्री
नक्षत्र सिंह सिद्धू एड , श्री गुरमीत सिंह कलसी एड. प्रति स. 3-4 व 6 व श्री
वरणजीत सिंह सिद्धू एड. प्रति स. 5 की ओर से दिया जाता है कि वादीगण का
वाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है। तथा वादीगण व
उक्त प्रतिवादीगण का निम्नानुसार खाता अलग कायम किया जावे :-

चक 7 एमएमके के खाता संख्या 77/59 में कुल रकबा 4.807 है में भौका पर
कब्जा काश्त:-

याकूब पुत्र सफीमोहम्मद जाति मुसलमान सा. नंवा प.न. 139/202 मु.न. 29 किला
नं. 5/1/0.215 हैं 5/2/0.038 हैं गै.मु रास्ता 6/1/0.215 हैं 6/2/0.038 हैं
7., 14, 17/0.253 हैं प्र. कुल रकबा 1.265 हैं नहरी मय गै.मु

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

फतेह बीबी पत्नी शेर मोहम्मद जाति मुसलमान सा. किकरवाली प.न. 139/202 मु. न. 29 किला नं. 15/1/0.215 है 15/2/0.038 हैं गै.मु रास्ता 16/1/0.215 हैं 16/2/0.038 है गै.मु रास्ता कुल रकबा 0.506 हैं नहरी मय गै.मु

जसकरणसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह 0.316 हि जोगेन्द्रसिंह पुत्र निकासिंह 0.633 हि बलकरणसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह 0.316 हि बलविन्द्रसिंह उर्फ बिन्द्रसिंह पुत्र निकासिंह 1.139 हि जाति कुम्हार सा. मोरजण्ड सिखान प.न. 139/202 मु.न. 29 किला नं. 3/0.253 हैं 4/0.127 हैं 8, 9/0.253 है प्र 12, 13/0.253 हैं प्र 18, 19/0.253 हैं प्र 23, 24/0.253 हैं प्र कुल रकबा 2.404 हैं नहरी

नाबालिग जसनदीपसिंह पुत्र बलराजसिंह सरक्षक सरपस्त माता करमजीतकौर जाति कुम्हार सा. मोरजण्ड सिखान प.न. 139/202 मु.न. 29 किला नं. 4/0.126 हैं कुल रकबा 0.126 हैं नहरी

असरफ अली, पुत्र अलीशेर 0.273 हि, मोहम्मद सलाम, मोहम्मद हुसैन पि अल्लाबकश

0.126 हि लियाकतअली पुत्र मुस्ताक खां 0.107 हि जाति मुसलमान सा. किकरवाली प.न. 139/201 मु.न. 18 किला नं. 24/1/0.234 हैं 24/2/0.019 है गै.मु रास्ता 25/1/0.1989 हि 25/2/0.038 हैं गै.मु रास्ता 25/3/0.0161 हैं गै.मु रास्ता कुल रकबा 0.506 हैं नहरी मय गै.मु

नोट:- अल्लाबकश पुत्र अल्लीशेर का नाम जमाबन्दी में सेग्ररिगेशन के दौरान सहवन दर्ज हुआ था। उक्त नाम का व्यक्ति कोई भी मौजूद नहीं हैं।

नोट:- डिक्री के चक 7 एम.एम.के.खाता स. 77/59 के कम संख्या 1-2-5 के सहकाशतकार अदालतहाजा में न तो स्वयं उपस्थित आये हैं। न ही इनकी तरफ से इनका कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ है। इसलिए इनकी भूमि में रास्ता व खाला आदी की सुविधा दी गई है या नहीं यह स्पष्ट नहीं है। अतः इनका खाता संयुक्त रखते हुए शेष का खाता डिक्री अनुसार अलग अलग कायम किया जावे व यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काशतकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंसा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भु.अ. संगरिया के पत्र क्रमांक:- प्रा.डिक्री/भु.अ./024/1704 दिनांक 16-05-2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निज..... मुब्लिक..... बाबत..... खर्चा मुकदमें के मय शुदवा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक 27.5.2024 को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 27.5.2024 को जारी की गई।



(राकेश कुमार मीना)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकांक्षी संगरिया
संगरिया